भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2162

23.09.2020 को उत्तर के लिए

वनरोपण कार्यक्रमों में पीपीपी मॉडल

2162. प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वन नीति का नवीनतम संस्करण लाने का है, यदि हां, तो यह नीति कब तक लाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार अवक्रमित वन क्षेत्रों में वनरोपण कार्यक्रमों के लिए निजी-सार्वजनिक साझेदारी पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीपीपी मॉडल का जनजातीय समुदाय और वनवासियों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय वन नीति, 1988 मुख्य नीतिगत दस्तावेज़ है जिसमें देश में वनों के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धांत समाविष्ट हैं।

सभी प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करने तथा उनकी प्रतिक्रियाओं को समाविष्ट करने के उपरांत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को अद्यतन करने तथा अन्य उद्देश्यों में, पारि-तंत्र संबंधी सेवाओं के लिए वनों के संवहनीय प्रबंधन के आधार पर लोगों की आजीविकाओं में सुधार लाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, बागानों की उत्पादकता में वृद्धि करने, जल एवं पारिस्थितिकीय सुरक्षा हेतु वनों का प्रबंधन करने, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान करने आदि उद्देश्यों को पूरा करने हेतु एक प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को अद्यतन करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति में अवक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है जिससे देश के द्वारा इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोत्पादों के आयात पर निर्भरता में कमी लाने में मदद मिलेगी। वनीकरण/पुन:वनीकरण का कार्य अनेक हितधारकों एवं आम जनता की सहभागिता से उनकी स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के साथ-साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उपरांत केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है: (i) वनों से बाहर के क्षेत्र, (ii) वनों के रूप में अभिलेखबद्ध किंतु वनों के रूप में अनधिसूचित राजस्व भूमि, (iii) झाड़ी/अवक्रमित वन क्षेत्र जो वन्यजीव पर्यावास नहीं हैं अथवा जो पर्याप्त पारिस्थितिकीय महत्व के हैं और (iv) विभिन्न स्थानीय सामुदायिक संगठनों द्वारा प्रबंधित क्षेत्र। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समुदायों के किसी भी सामुदायिक अधिकार का हनन न हो और ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" तथा "पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996" आदि का उल्लंघन न हो।

****